"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुनत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2010/वाक (आब)/पांच (38).—छत्तीसगढ़ नये सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982 के नियम 8 के खण्ड (ञ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, पृथक आगम विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-5-56-पांच-पृ.आ-82, दिनांक 23-10-1982 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 4 के खण्ड (ख) में शब्द, समूह "अन्य सिनेमाघरों की न्यूनतम दरों से कम तथा अधिकतम दरों से अधिक न हों" के पश्चात् शब्द, समूह "परन्तु उक्त प्रावधान मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों पर लागू नहीं होगा" जोड़ा जाये.

2. उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-18/2010/वाक (आब)/पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-18/2010/वाक (आब)/पांच (38), दिनांक 30 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th April 2010

NOTIFICATION

No. F 10-18/2010/CT (Ex)/V (38).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of the Rule 8 of Chhattisgarh Naya Cinemagharon Ya Multiplex Cinemagharon Ke Nirman Ko Protsahan Yojna Ke Sahayata Anudan Niyam, 1982, published by Government of Madhya Pradesh, Separate Revenue Department Notification No. B-5-56-V-SR-82, dated 23-10-1982, the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Cinemagharon Ke Nirman Ko Protsahan Yojna Ke Sahayata Anudan Niyam, 1982, namely :—

AMENDMENTS

1. In clause (b) of Rule 4, after the word, group "not below the minimum rates and not above the maximum rates of other Cinema houses" the word, group "but this provision shall not be applicable on Multiplex Cinema houses" shall be added.

2. This amendment shall come into force from the issue of this Notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.